रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

HRCE azette of India

असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

		48																																						
		48																																						
								ħ																																
C / D / T			ST 11											. No						1.1						inin.			Sec. 6						Sec. 14	. A.	2262			

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2010

सं. एल-1/42/2010-केंविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियमन) विनियम, 2010 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), जिसमें उसके संशोधन भी है, अभिप्रेत है;
 - (ख) "करार" से फायदाग्राही तथा उस उत्पादन कंपनी, जिसके स्वामित्वाधीन उत्पादन केंद्र हैं, के बीच ऊर्जा क्रय करार या, यथास्थिति, फायदाग्राही तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बीच थोक ऊर्जा पारेषण करार या ऐसा कोई अन्य करार अभिप्रेत है जो उत्पादन कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा फायदाग्राहियों के बीच किसी भी नाम से किया गया हो:
 - (ग) "फायदाग्राही" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विद्युत आबंटित की गई है या दीर्घकालिक पहुंच या मध्य-कालिक निर्बाध पहुँच के माध्यम से उत्पादन केंद्र से उत्पादित विद्युत का प्रदाय किया जा रहा है या जो यथास्थिति, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली का उपयोक्ता है;

3812 GI/2010

- (घ) ''आयोग'' से अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक अभिप्रेत है:
- (ङ) ''व्यतिक्रमी इकाई'' से ऐसा फायदाग्राही अभिप्रेत है जिसके पास उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बकाया शोध्य हों या अपेक्षित प्रत्यय-पत्र को या करार-निबंध में किसी अन्य तय संदाय प्रतिभूति तंत्र को बनाए नहीं रखता हो;
- (च) ''व्यतिक्रम करने की तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को संदाय में व्यतिक्रम किया गया हो या प्रत्यय-पत्र को बनाए रखने में व्यतिक्रम किया गया हो या किसी अन्य तय संदाय प्रतिभूति तंत्र में व्यतिक्रम किया गया हो।

स्पष्टीकरण 1 : शोध्यों की असंदाय की दशा में, यह तारीख, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिल की तामील की तारीख से 60 दिन की अवधि के पूरा करने के पश्चात् अगले कार्य दिवस होगी।

स्पष्टीकरण 2 : अपेक्षित प्रत्यय-पत्र या किसी अन्य तय संदाय प्रतिभूति तंत्र का रखरखाव न करने की दशा में, व्यतिक्रम करने की तारीख करार के अनुसार, समाप्त हुई संदाय प्रतिभूति तंत्र की तारीख के पश्चात् तीसरे कार्यदिवस होगी;

- (छ) ''भार प्रेषण केंद्र' से यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र अभिप्रेत है:
- (ज) ''बकाया शोध्य'' से उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे शोध्य अभिप्रेत हैं जो फायदाग्राहियों को बिल की तामील की तारीख से 60 दिन की अवधि के बाद भी असंदत्त हों;
- (झ) ''विनियमन इकाई'' से व्यतिक्रमी इकाई के ऊर्जा प्रदाय को विनियमित करने के लिए आयोग की अधिकारिता के भीतर, यथास्थिति, ऐसी उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है जिन्हें प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया है;
- (ज) "विनियमित इकाई" से ऐसी व्यतिक्रमी इकाई अभिप्रेत है जिसकी ऊर्जा का प्रदाय इन विनियमों के अनुसार किया जाता है;
- (ट) ''उपयोक्ता'' से उत्पादन कंपनी, जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (केंद्रीय पारेषण उपयोगिता और राज्य पारेषण उपयोगिता से भिन्न)

[भाग]]]--खण्ड 4]

या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या थोक उपयोक्ता जैसे ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके विद्युत संयंत्र 33 केवी और उससे ऊपर के स्तर पर आईएसटीएस से जुड़े हौं;

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय तथा जब कि संदर्भ के विरुद्ध न हो या यदि विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

विस्तार तथा लागू होना

ये विनियम उन उत्पादन केंद्र तथा पारेषण प्रणाली को लागू होंगे जहां बकाया शोध्यों के असंदाय या प्रत्यय-पत्र या किसी अन्य तय संदाय प्रतिभूति तंत्र को बनाए न रखने की दशा में, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के लिए यथास्थिति, फायदाग्राही तथा उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बीच करार में विनिर्दिष्ट उपबंध हों।

अध्याय 2 ऊर्जा प्रदाय के विनियमन की प्रक्रिया

4. यदि बकाया शोध्यों या अपेक्षित प्रत्यय-पत्र या किसी अन्य तय संदाय प्रतिमूति तंत्र को करार के अनुसार नहीं बनाए रखा जाता है तो उत्पादन कंपनी की दशा में, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी निकासी अनुसूची में कमी करने के लिए या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दशा में, अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से निर्बाध पहुंच/पहुंच को वापस लेने के लिए व्यतिक्रमी इकाई को ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के लिए सूचना की तामील करेंगे। ऐसी सूचना की तामील व्यतिक्रम करने की तारीख को या उसके पश्चात् की जा सकेगी तथा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे सम्मिलित होंगे :

(क) व्यतिक्रमी इकाई के विरुद्ध बकाया शोध्यों की रकम या, यथास्थिति, प्रत्यय-पत्र या कोई अन्य तय संदाय प्रतिभूति तंत्र को बनाए न रखने की अवधि;

(ख) व्यतिक्रमी इकाई की निकासी अनुसूची में कटौती की मात्रा तथा अवधि यदि विनियमित इकाई उत्पादन कंपनी है या यदि विनियमित इकाई पारेषण अनुज्जप्तिधारी है, यथास्थिति, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और/या दीर्घकालिक पहुंच को इंकार करने की मात्रा तथा अवधि :-

परंतु यह कि यदि विनियमित इकाई उत्पादन कंपनी है तो ऐसी सूचना में निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे भी सम्मिलित होंगे : 3

(i) ऊर्जा के स्रोत, जिससे ऊर्जा प्रदाय के विनियमन की दशा में कटौती/उपयोजन किया जाना है तथा उनमें से प्रत्येक से ऊर्जा की निकासी अनुसूची/अपयोजन की कटौती की अवधि के साथ मात्रा; तथा

- (ii) क्या व्यतिक्रमी इकाई की निकासी अनुसूची में कटौती से उत्पादन में कटौती होनी की संभावना है या विनियमन के परिणामस्वरूप उपलब्ध अधिक ऊर्जा को प्रत्यक्षतः या व्यापारी के माध्यम से किसी अन्य इकाई को बेचा जाना है; तथा
- (iii) ऊर्जा के अपयोजन की दशा में, उस व्यक्ति की विशिष्टियां जिसको ऊर्जा प्रथांतरित की जानी है तथा यदि अग्रिम में अवधारित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति से प्रभारित की जाने वाली तय कीमत;

परंतु यह कि पावर एक्सचेंज या अन्यथा के माध्यम से विक्रय की दशा में, जब भी ऐसी कीमत का पता लगता है तो उन कीमतों की सूचना दी जा सकेगी :

परंतु यह और कि जहां विनियमित इकाई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी है, वहां ऐसी सूचना में वह पारेषण लाइन या पारेषण कॉरीडोर भी सम्मिलित होगा जिस पर व्यतिक्रमी इकाई के लिए उन प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/केंद्रों के परामर्श से मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और/या दीर्धकालिक पहुंच को निर्बधित किया जाता है, जिनके नियंत्रण में पारेषण लाइन या पारेषण कारीडोर अवस्थित है तथा ऊर्जा के स्रोत, उस कारीडोर का अधिमानतः सुलभ ऊर्जा केंद्र जिसको प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/राज्य भार केंद्र द्वारा निर्बधित किया जाना है।

5. विनियम 4 के अधीन विनियमित इकाई द्वारा सूचना की एक प्रति कार्यान्वयन योजना तैयार करने के अनुरोध के साथ उस प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र को भेजी जाएगी जिसके नियंत्रण क्षेत्र में विनियमित इकाई अवस्थित है । सूचना की प्रति की तामील संबंधित अन्य प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, राज्य भार प्रेषण केंद्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भी की जाएगी :

परंतु यह कि ऊर्जा प्रदाय के विनियमन की कार्यान्वयन योजना तैयार करने के लिए सूचना तथा अनुरोध की प्रति की तामील व्यतिक्रमी इकाई, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, राज्य भार प्रेषण केंद्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को की जाएगी तथा उसे ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख के कम से कम 3 दिन अग्रिम में विनियमित इकाई की वेबसाइट पर डाला जाएगा :

परंतु यह और कि विनियमित इकाई संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/राज्य भार प्रेषण केंद्र को क्षतिपूरित, प्रतिरक्षित तथा सुरक्षित करेगा तथा सभी नुकसानियों, हानियों, दावों तथा कार्रवाई, मांगों, वादों, वसूलियों, लागत और खर्चों, न्यायालय लागत, अर्टीनी फीस, या इन विनियमों के अधीन ऊर्जा के विनियमन के परिणामस्वरूप उद्भूत तीसरे पक्षकारों द्वारा या उनकी सभी अन्य बाध्यताओं से उनकी अपहानि कर करेगा।

6. विनियम 4 के अधीन तथा तत्पश्चात् तीन दिन के भीतर सूचना की प्राप्ति पर उस संबंधित भार प्रेषण केंद्र/राज्य भार प्रेषण केंद्र, जिसकी अधिकारिता के भीतर, व्यतिक्रमी इकाई अवस्थित है, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन को कार्यान्वित करने के लिए लिखित में योजना तैयार करेंगे तथा उक्त योजना के बारे में विनियमन इकाई, विनियमित इकाई, संबंधित भार प्रेषण केंद्र, राज्य ऊर्जा समितियों तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों को सूचित करेंगे तथा अपनी वेबसाइट पर कार्यान्वयन योजना को डालेंगे :

परंतु यह कि यदि, यथास्थिति, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र की राय में, विनियमन इकाई द्वारा किए गए ऊर्जा प्रदाय का विनियमन करने का प्रस्ताव अभिभावी प्रणाली परिस्थितियों के अधीन नहीं किया जा सकता है तब वह लिखित में अपने विनिश्चय की सूचना विनियमन इकाई को तथा विनियम 4 के अधीन सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के भीतर ऐसे विनियमन के आधार पर सूचना उस संभावित तारीख के साथ देंगे जिस तारीख को विनियम कार्यान्वित किया जा सकता है।

7. कार्यान्वयन के लिए योजना, यथास्थिति, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा ऐसी रीति से तैयार की जाएगी जिस रीति में निकासी अनुसूची में कटौती की रकम में विनियमन इकाई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मात्रा में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि होगी। ऐसी उत्तरोत्तर वृद्धि करार के अनुसार, यदि करार में ऐसा उल्लिखित है, होगी :

परंतु यह कि ऊर्जा प्रदाय के अतिरिक्त विनियमन की प्रत्येक मामले में, वास्तविक कार्यान्वयन से पूर्व विनियम 4 के अधीन तीन (3) दिन की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

8. विनियमन इकाई के लिए ऊर्जा प्रदाय के विनियमन को, जब तक कि विनियमन इकाई ऊर्जा प्रदाय में विनियमन के रदकरण का अनुरोध नहीं करती है, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार सूचना के चौथे दिन से कार्यान्वित किया जाएगा।

9. यदि विनियमन इकाई ऊर्जा प्रवाय के विनियमन को वापस या स्थगित करने का विनिश्चय करती है तो वह अपने विनिश्चय की सूचना, यथास्थिति, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र को तथा व्यतिक्रमी इकाई को, उसके कारणों के साथ, लिखित में देगी :

परंतु यह कि ऊर्जा प्रदाय के विनियमन को वापस लेने/स्थगन की संसूचना ऐसे विनियमन के वापस लिए जाने या स्थगन के दिन के कम से कम दो दिन पूर्व दी जाएगी :

3812 6210-2

परंतु यह और कि विनियमन इकाई इस बात को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन को वापस लिए जाने के समय तथा तारीख की यह संसूचना देगी कि ऊर्जा प्रदाय का विनियमन बकाया शोध्यों को वसूलने के पश्चात तत्काल वापस लिया जाना है।

10. जहां विनियमित इकाई उत्पादन कंपनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिघारी दोनों का संदाय करने में व्यतिक्रम करती है वहां इन व्यतिक्रमियों के लिए विनियमन इकाई पर ऊर्जा प्रदाय के विनियमन का कार्यान्वयन साथ-साथ किया जाएगा। बकाया शोध्यों के मद्दे समायोजन इन विनियमों के विनियम 17 के अनुसार किया जाएगा।

11. (1) ऊर्जा प्रदाय के विनियमन की अवधि के दौरान, विनियमन इकाई राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी गई पुनरीक्षित अनुसूची के लिए अपनी निकासी को निर्बंधित करेगा तथा निकासी अनुसूची से विचलन, यदि कोई हो, समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुसार अननुसूचित विनिमय प्रभारों के अधीन रहते हुए होगा।

(2) ऊर्जा प्रवाय के विनियमन की अवधि के दौरान, यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र ग्रिड सुरक्षा पर विचार करते हुए, ऊर्जा प्रवाय के विनियमन पर विचार करेगा तथा यदि उसकी राय में ग्रिड सुरक्षा को आसन्न खतरा है तो ऊर्जा प्रवाय के विनियमन की योजना का कार्यान्वयन अस्थायी रूप से निलंबित कर सकेंगे।

(3) संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र क्षेत्र के सदस्य-सचिव, प्रादेशिक ऊर्जा समिति को ऊर्जा प्रदाय के विनियमन को कार्यान्वित करने की सूचना देगा।

अध्याय 3 उत्पादन कंपनी द्वारा विनियमन

12. (1) उत्पादन कंपनी संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा यथा अभिनिश्चित ग्रिड सुरक्षा के अधीन रहते हुए, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के दौरान किसी व्यक्ति, जिसमें कोई भी विद्यमान फायदाग्राही सम्मिलित है; को ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के कारण अधिशेष ऊर्जा का विक्रय करने का हकदार होगी, यदि उपरोक्त विकल्प संभव नहीं है तो उत्पादन में कटौती कर सकेगी। उत्पादन कंपनी, यथास्थिति प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र, व्यतिक्रमी इकाई तथा क्षेत्र के सदस्य-सचिव, प्रादेशिक ऊर्जा समिति को ऐसे विक्रय की मात्रा, अवधि तथा दर के बारे में सूचित करेगी :

परंतु यह कि जब तक कि करार में अन्यथा उपबंधित न हो, उत्पादन केंद्र की क्षमता प्रभारों का संदाय करने का दायित्व, जिसकी बाबत अनुसूची को निर्बंधित किया गया है, विनियमन इकई का होगा। (2) ऊर्जा के पथांतर की दशा में, निर्बाध पहुंच को समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियमन, 2009 तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा सहबद्ध विषय) विनियमन, 2009 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

13. ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के कारण उत्पादन कंपनी द्वारा अधिशेष ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त रकम को उत्पादन कंपनी द्वारा वहन किए गए ऊर्जा प्रभारों, व्यापार मार्जिन और अन्य आनुषंगिक खर्चों, यदि कोई हों, की कटौती करने के पश्चात् विनियमन इकई को बकाया शोध्यों के प्रति समायोजित किया जाएगा तथा शेष रकम, यदि कोई हो, विनियमित इकाई को दी जाएगी। जैसा ऊपर विनियम 9 में उल्लिखित है, ऊर्जा प्रदाय का विनियमन बकाया शोध्यों की वसूली के शीघ्र पश्चात् वापस लिया जाएगा।

14. जल रिसाव से बचने के लिए, हाइड्रो उत्पादन केंद्र के माध्यम से, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के दौरान, यदि विक्रेता अधिशेष ऊर्जा की पूर्ण मात्रा को नहीं पा सकता है या नहीं पाता है तो उत्पादन केंद्र अननुसूचित विनिमय (यूआई) तंत्र के अधीन ऊर्जा को तब अंतःक्षेपित कर सकता है यदि ग्रिड की परिस्थिति उस प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, जिसमें वह अवस्थित है, की अनुज्ञा से, समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा अनुज्ञात करती है। जल रिसाव की दशा में, ऊर्जा प्रभार की हानि, पहले प्रभार पर ऊर्जा की बिक्री के माध्यम से और/या विनियम के कारण अधिशेष ऊर्जा के अत्तःक्षेपण से अर्जित राजस्व होगी तथा अतिशेष रकम को विनियम 13 के अनुसार समायौजित किया जाएगा।

अध्याय 4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियमन

15. ऊर्जा प्रदाय को विनियमित करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के अनुरोध पर, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र संबंधित उत्पादन कंपनी को सूचना देते हुए, इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन तामील नोटिस के अनुसार विनिमयन के कारण, अधिमानतः उस कॉडीडोर में सुलम उत्पादन केंद्र से, व्यतिक्रमी इकाई द्वारा आबंटित ऊर्जा या संविदागत ऊर्जा प्रदाय के मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक पहुंच में कटौती कर सकेगा। विनियमन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उन संबंधित उत्पादन कंपनियों, जिन्होंने विनियमित इकाई को ऊर्जा की बिक्री के लिए संविदा की है, तथा संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के परामर्श से निर्बाध पहुंच/पहुंच की मात्रा/इंकार की अवधि का विनिश्चय कर सकेगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्राक्कलित कीमत, उन उपदर्शनों, जिसे पावर एक्सचेंज यूनिफार्म मार्किट किलयरिंग कीमत से लिया जा सकता है तथा प्रत्यक्षतः व्यापारियों के माध्यम से बेची गई 8

विद्युत की अभिभावी कीमत के आधार पर ऊर्जा प्रदाय के विनियमन की मात्रा तथा अवधि का प्रस्ताव कर सकता है।

16. उत्पादन कंपनी, निर्बाध पहुंच में कटौती के परिणामस्वरूप ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के दौरान, किसी भी व्यक्ति को, जिसमें विद्यमान फायदाग्राही भी हैं, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के कारण अधिशेष पड़ी ऊर्जा को बेचने का हकदार होगा। इस ऊर्जा की बिक्री के कारण प्राप्त राजस्व का उपयोग निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा :

- क) उत्पादन कंपनी के ऊर्जा प्रभार तथा कोई भी आनुषंगिक खर्चों; जिसमें व्यापार मार्जिन भी है, का संदाय करने के लिए, यदि ऊर्जा को व्यापारी के माध्यम से बेचा जाता है।
- ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बकाया शोध्यों का संदाय करने के लिए।
- ग) विनियमित इकाई को दी जाने वाली कोई शेष रकम।

17. निकासी अनुसूची की ऐसी कटौती की दशा में, उत्पादन कंपनी में उसके मूल शेयर के लिए क्षमता प्रभारों का संदाय करने का दायित्व विनियमित इकाई का होगा।

18. जल रिसाव से बचने के लिए, हाइड्रो उत्पादन केंद्र के माध्यम से, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के दौरान, यदि विक्रेता अधिशेष ऊर्जा की पूर्ण मात्रा को नहीं पा सकता है या नहीं पाता है तो उत्पादन केंद्र अननुसूचित विनिमय (यूआई) तंत्र के अधीन ऊर्जा को तब अंतःक्षेपित कर सकता है यदि ग्रिड की परिस्थिति उस प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, जिसमें वह अवस्थित है, की अनुज्ञा से, समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा अनुज्ञात करती है। जल रिसाव की दशा में, ऊर्जा प्रभार की हानि, पहले प्रभार पर ऊर्जा की बिक्री के माध्यम से और/या विनियमन के कारण अधिशेष ऊर्जा के अतःक्षेपण से अर्जित राजस्व होगा तथा अतिशेष रकम को विनियम 16 के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

19. यदि विनियमित इकाई साथ-साथ उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को बकाया शोध्यों की देनदार है तो उत्पादन कंपनी के ऊर्जा प्रभारों तथा आनुषंगिक खर्चों के समायोजन के पश्चात, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त संदायों को उत्पादन कंपनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने-अपने बकाया शोध्यों के अनुपात में तब तक बांटा जाएगा जब तक शोध्यों का संदाय नहीं कर दिया जाता है तथा अतिशेष रकम, यदि कोई हो, को विनियमित इकाई को दिया जाएगा।

अध्याय 5 प्रकीर्ण

20. **कठिनाई को दूर करने की शक्ति** : यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगा जो अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो तथा जो कठिनाई को दूर करने के आवश्यक प्रतीत हों।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन 111/4/150/10/असा.]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2010

No. L-1/42/2010-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I

GENERAL

1. Short title and commencement

- (1) These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Regulation of Power Supply) Regulations, 2010.
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires :
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;

3312 4 2 10-3

(b) "Agreement' means the power purchase agreement between the Beneficiary and the Generating Company which owns the generating stations or the bulk power transmission agreement between the Beneficiary and the Transmission Licensee, as the case may be, or such other agreements by whatever name called binding the Generating Company/Transmission Licensee and their Beneficiaries;

(c) "Beneficiary" means the person who has been allocated electricity or is being supplied electricity generated from a generating station through longterm access or medium-term open access or who is a user of the transmission system of a transmission licensee, as the case may be;

(d) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in Section 76 of the Act;

 (d) "Defaulting entity" means a beneficiary having outstanding dues of a generating company or a transmission licensee or not maintaining the required Letter of Credit or any other agreed Payment Security Mechanism in terms of the Agreement;

(e) 'Default Trigger Date' means the date from which the default in payment or default in maintaining Letter of Credit or any other agreed Payment Security Mechanism has been established.

Explanation I:- In case of non payment of dues, this date shall be the next working day after completion of the 60 days period from the date of service of the bill by the generating company or the transmission licensee as the case may be.

Explanation II: In case of non maintenance of the required Letter of Credit or any other agreed Payment Security Mechanism, the Default Trigger Date shall be third working day after the payment security mechanism, as per the Agreement, ceases to exist.;

(f) "Load Despatch Centre" means Regional Load Despatch Centre or State
Load Despatch Centre, as the case may be.

(g) "Outstanding dues" means the dues of a generating company or of a transmission licensee, which remains unpaid beyond a period of 60 days from the date of service of the bill on the beneficiaries;

(h) "Regulating entity" means the generating company or the transmission licensee, as the case may be, within the jurisdiction of the Commission, which notifies the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre, to regulate the power supply of the defaulting entity;

(i) "Regulated Entity" means the defaulting entity whose power supply is regulated in accordance with these Regulations;

(j) "User" means a person such as a Generating Company including Captive Generating Plant or Transmission Licensee (other than the Central Transmission Utility and State Transmission utility) or Distribution Licensee or Bulk Consumer, whose electrical plant is connected to the ISTS at a voltage level 33kV and above;

(2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or if the subject matter otherwise requires, words and expressions used and not defined herein, but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them under the Act.

3. Scope and Applicability: These Regulations shall be applicable to the generating station and the transmission system where there is a specific provision in the Agreement between the Beneficiaries and Generating Company or the Transmission Licensee as the case may be, for regulation of power supply in case of non-payment of outstanding dues or non-maintenance of Letter of Credit or any other agreed Payment Security Mechanism.

CHAPTER II

PROCEDURE FOR REGULATION OF POWER SUPPLY

4. casein case of the outstanding dues or in case the required Letter of Credit or any other agreed Payment Security Mechanism is not maintained as per the Agreement, the generating company or the transmission licensee, as the case may be, may serve a notice for regulation of power supply, on the Defaulting Entity, for reducing the drawl schedule in the case of the generating company or with-drawl of open access/access to Inter State Transmission System in the case of the transmission licensee. Such notice may be served on or after the default trigger date and shall include the following details:

(a) The amount of outstanding dues against the Defaulting Entity or the duration of non-maintenance of Letter of Credit or any other agreed Payment Security Mechanism, as the case may be;

(b) Quantum and duration of reduction in drawl schedule of Defaulting Entity in case the Regulating Entity is a Generating company or the quantum and duration of denial of medium-term open access and/or long-term access, as the case may be, in case the Regulating Entity is a Transmission licensee;

Provided that in case the Regulating Entity is a Generating company, such notice shall also include the following additional details:

- Source(s) of power from which reduction/diversion is to be made in case of regulation of power supply and quantum alongwith duration of reduction of drawl schedule/ civersion of power from each of them ; and
- (ii) Whether reduction of drawl schedule of Defaulting Entity is likely to cause reduction in generation or the excess power available

13

consequent to regulation is to be sold to any other entity, whether directly or through trader; and

(iii) In case of diversion of power, the particulars of the person to whom power is to be diverted and the price agreed to be charged from such person, if determined in advance.

Provided further that in case of sale through Power Exchange or otherwise, the price may be intimated as and when such price is discovered.

Provided further that where the Regulating Entity is a Transmission Licensee, such notice shall also include the transmission line or the transmission corridor on which medium-term open access and / or long-term access to the defaulting Entity is to be restricted, in consultation with the Regional Load Despatch Centre/s in whose control area the transmission line or transmission corridor is located and the source of power, preferably the cheapest power station in that corridor from which schedule is to be restricted by Regional Load Despatch Centre/State Load Despatch Centre.

5. A copy of the notice under Regulation 4 shall be forwarded by the Regulating Entity to the Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre in whose control area (s) the Regulating Entity is situated with a request to prepare implementation plan. Copies of the notice shall also be served on other concerned Regional Load Despatch Centres, State Load Despatch Centres, Regional Power Committees.

Provided that the notice and request for preparing implementation plan of regulation of power supply shall be served on the Defaulting Entity, concerned Regional Load Despatch Centre, State Load Despatch Centre, and Regional Power Committee and shall also be posted on the website of the Regulating Entity at least three (3) days in advance of the proposed date of commencement of regulation of power supply.

38124210-4

Provided further that the Regulating Entity shall undertake to indemnify, defend and save concerned Regional Load Despatch Centre/State Load Despatch centre and hold them harmless from any and all damages, losses, claims and actions, demands, suits, recoveries, cost and expenses, court cost, attorney fees, and all other obligations by or to third parties arising out of or resulting from the regulation of power under these regulations.

6. Upon receipt of the notice under Regulation 4 and within 3 days thereafter, the concerned State Load Despatch Centre/Regional Load Despatch Centre, in whose control area the Defaulting Entity is situated, shall make a plan in writing for implementing the regulation of power supply and shall inform the Regulating Entity, Regulated Entity, concerned State Load Despatch Centres, Regional Power Committees, and Regional Load Despatch Centres of the said Plan and shall post the implementation plan on its website.

Provided that if in the opinion of the concerned Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre, as the case may be, the proposal for regulation of power supply made by the Regulating Entity cannot be carried out under the prevailing system conditions, then it shall inform the Regulating Entity of its decision in writing and the basis for such decision within three (3) days of receipt of the notice under Regulation 4, along with the expected date from which regulation can be implemented.

7. The plan for implementation shall be prepared by concerned Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre, as the case may be, in such manner that the amount of reduction in drawl schedule shall be progressively increased in quantum in accordance with the notice given by the Regulating Entity. Such progressive increase shall be in accordance with the Agreement, if so mentioned in the Agreement.

Provided that for each case of additional regulation of power supply, a three (3) days' advance notice, under Regulation 4 shall be given , in writing before actual implementation.

भारत का राजपत्र : असाधारण

8. The regulation of power supply for the Regulating Entity shall be implemented from the fourth day of the notice as per plan prepared by the Regional Load Despatch Centre/State Load Despatch Centre unless the Regulating Entity requests cancellation of the regulation of power supply.

9. In case the Regulating Entity decides to withdraw or postpone the regulation of power supply, it shall communicate its decision in writing to the concerned Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre, as the case may be, and the Defaulting Entity, along with reasons thereof.

Provided that the communication for withdrawal /postponement of the regulation of power supply shall be given at least two days prior to the day of withdrawl or postponement of such regulation.

Provided further that Regulating Entity shall communicate the time and date of withdrawal of regulation of power supply, keeping in view that the regulation of power supply has to be withdrawn immediately after the outstanding dues are recovered.

10. Where the Regulated Entity has defaulted in making payment to both Generating Company and Transmission Licensee, the regulation of power supply on the Regulated Entity for these defaults shall be implemented concurrently. The adjustment towards the Outstanding Dues shall be in accordance with Regulation 17 of these regulations.

11. (1) During the period of regulation of power supply, the Regulated Entity shall restrict its drawal to the revised schedule given by the Load Despatch Centre and the deviations, if any, from the drawal schedule shall be subjected to unscheduled inter-change charges in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Interchange charges and related matters) Regulations, 2009 as amended from time to time.

(2) The Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre, as the case may be, during the period of regulation of power supply, shall consider the regulation of power supply taking into consideration grid security, and may temporarily suspend implementation of the plan of regulation of power supply, if in its opinion, grid security is in imminent danger.

(3) The concerned Regional Load Despatch Centre shall keep Member-Secretary, Regional Power Committee of the region informed of the implementation of the regulation of power supply.

CHAPTER III

REGULATION BY GENERATING COMPANY

12.(1) The generating company shall be entitled to sell the power rendered surplus due to regulation of power supply, to any person, including any of the existing beneficiaries, during the regulation of power supply, subject to grid security, as ascertained by the concerned Regional Load Despatch Centre, or may reduce generation in case any of the above options is not possible. The Generating Company shall inform the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre, as the case may be, the Defaulting Entity and Member-Secretary, Regional Power Committee of the region, of the quantum, duration and rate of such sale.

Provided that, unless the Agreement otherwise provides, the liability to pay the capacity charges of the generating station, in respect of which the schedule has been restricted, shall be of the Regulated Entity.

(2) Open access in case of diversion of power shall be regulated in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations, 2009, and Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-Term Access and Medium-Term Open Access to the inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time.

भारत का राजपत्र : असाधारण

13. The amount received from sale of surplus power by generating company due to regulation of power supply, shall be adjusted against the outstanding dues of the Regulated Entity, after deduction of energy charges, trading margin and other incidental expenses borne by the Generating Company, if any, and the remaining amount, if any, shall be passed on to the Regulated Entity. As mentioned in Regulation 9 above, the regulation of power supply shall be withdrawn as soon as outstanding dues are recovered.

14. During regulation of power supply, through a hydro generating station, in order to avoid spillage of water, if a buyer cannot be found or is not found for the full quantum of power rendered surplus, the generating station can inject power under Unscheduled Interchange (UI) mechanism, if grid conditions allow, with the permission of the Regional Load Despatch Centre in which it is located, subject to the stipulations in the Central Electricity Regulatory Commission,(Unscheduled Interchange charges and related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time. The loss of energy charge, in case of spillage of water, shall be made good from the revenue earned through sale of power and/or UI from injection of power rendered surplus due to regulation, on first charge, and the balance amount shall be adjusted in accordance with Regulation 13.

CHAPTER IV REGULATION BY TRANSMISSION LICENSEE

15. On the request of a Transmission Licensee for Regulating the power supply, the Regional Load Despatch Centre may, under intimation to the concerned generating company, curtail the medium-term open access or long-term access of the allocated power or power supply contracted by the Defaulting Entity, on account of regulation according to the notice served under Regulation 4 of these regulations, preferably from the cheapest generating station in that corridor. The Regulating Transmission Licensee may decide the quantum and duration of denial of open access/ access in consultation with any of the concerned generating companies who have a

381242/10-5

contract to sell power to the Regulated Entity and the concerned Regional Load Despatch Centre. The Transmission Licensee can propose the quantum and duration of regulation of power supply based on an estimated price, indications of which can be taken from the Power Exchange Uniform Market Clearing Price and the prevailing price of electricity sold through traders directly.

16. The generating company, as a result of reduction of open access shall be entitled to sell the power rendered surplus due to regulation of power supply, to any person including any of the existing beneficiaries, during the regulation of power supply. The revenue received on account of sale of this power shall be utilised in following sequence:

- a) to pay the energy charges and any incidental expenses, including trading margin if power is sold through a trader, of the generating company
- b) to pay the outstanding dues of the transmission licensee.
- c) any remaining amount to be passed on to Regulated Entity.

17. In case of such reduction of drawl schedule, the liability of payment of capacity charges for its original share in the generating station shall remain with the Regulated Entity.

18. During regulation of power supply, through a hydro generating station, in order to avoid spillage of water, if a buyer cannot be found or is not found for the full quantum of power rendered surplus, the generating station can inject power under Unscheduled Interchange (UI) mechanism, if grid conditions allow, with the permission of the Regional Load Despatch Centre in which it is located, subject to the stipulations in the Central Electricity Regulatory Commission, (Unscheduled Interchange charges and related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time. The loss of energy charge, in case of spillage of water, shall be made good from the revenue earned through sale of power and/or UI from injection of power rendered surplus due to regulation, on first charge, and the balance amount shall be adjusted in accordance with Regulation 16.

भारत का राजपत्र : असाधारण

19. In case the Regulated Entity owes outstanding dues to a Generating Company and a Transmission Licensee simultaneously, the payments received from sale of power, after adjustment of energy charges and incidental expenses of the Generating Company shall be shared by the Generating Company and the Transmission Licensee in proportion to their outstanding dues, till the dues are neutralised and the balance amount, if any, shall be passed on to the Regulated Entity.

CHAPTER V MISCELLANEOUS

20. Power to remove difficulty: If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

ALOK KUMAR, Secy. [ADVT III/4/150/10/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 19